HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4951/2019

1. Chandra Kanti, Aged About 62 Years
2. Santosh Kumari , aged 58 Years
3. Kanya Bai, Aged About 59 Years
4. Sita Bai, Aged About 56 Years,
   All D/o Jagan Nath, R/o Chainpuriya At Present R/o Patheda Tehsil And District Baran

----Appellants

Versus

1. Shikhar Chand S/o Mangilal, R/o Baran, District Baran (Raj)
2. Kailash Chand S/o Mangilal (Deceased)
   2/1. Manjulata W/o Late Kailash Chand, about 57 years.
   2/2. Anupam S/o Late Kailash Chand, about 32 years.
   2/3. Poonam D/o Late Kailash Chand, about 39 years.
   2/4. Alka D/o Late Kailash Chand, about 37 years.
   2/5. Sheetal D/o Late Kailash Chand, about 34 years.
   All R/o Baran, District Baran (Raj)

---Plaintiffs-Respondents

3. Bherulal, aged 66 years, S/o Jagan Nath, R/o Pyareramji ke Mandir Ke Pass, Odhpura, Baran, District Baran.
4. Jagan Nath, aged 91 years, S/o Kesarilal, R/o Chainpuriya, at present Patheda, Tehsil Baran, District Baran.

---Defendants/Proforma-Respondent

For Appellant(s) : Mr. Tanmay Dhand, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Atul Kumar Jain, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

18/03/2026

1. अपीलार्थीगण–प्रतिवादी संख्या 2 से 5 (आगे ''प्रतिवादी संख्या 2 से 5'' कहा जावेगा) की ओर से यह अपील विद्वान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां द्वारा दीवानी विविध संख्या 50/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2019 से व्यथित होकर पेश की है जिसके माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी पी सी खारिज किया गया।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 5 व प्रत्यर्थी/वादी की बहस सुनी गयी एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. सुसंगत तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी संख्या–1/वादी शिखरचंद द्वारा वर्ष 2013 में एक दीवानी वाद संख्या 02/2013 शिखरचंद बनाम भैरूलाल विचारण न्यायालय में विक्रय अनुबंध दिनांक 04.06.1997 की विनिर्दिष्ट अनुपालना के लिए प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी संख्या–1 भैरूलाल वर्तमान चारों प्रतिवादीगण का सगा भाई है। विचारण न्यायालय द्वारा सभी प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये जो सम्यक रूप से तामील हुए, उनकी ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया, जवाबदावे हेतु समय चाहा एवं अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया और अंततः दिनांक 22.07.2014 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा "no instructions plead" किया, जिस पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 18.02.2015 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किया गया जिसे अपास्त करने हेतु प्रत्यर्थी संख्या–3/प्रतिवादी

संख्या–1 भैरूलाल, जो कि वर्तमान अपीलार्थीगण का सगा भाई है, के द्वारा एक आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी पी सी विविध प्रकरण संख्या 02/2016 दिनांक 15.12.2015 को प्रस्तुत किया, जो दिनांक 30.05.2018 को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया और उसके उपरांत दिनांक 15.10.2018 को वर्तमान अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की ओर से आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का आवेदन पेश किया गया जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2019 के माध्यम से खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Tahil Ram Issardas Sadarangani and Ors. Vs. Ramchand Issardas Sadarangani and Ors. AIR 1993 SC 1182 व Malkiat Singh and Ors. Vs. Joginder Singh and Ors. AIR 1998 SC 258 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उन्हें कोई सूचना दिये बिना "no instructions plead" किया तथा न्यायालय द्वारा भी कोई नोटिस वर्तमान प्रतिवादीगण को जारी नहीं किया गया है। मामला अचल संपत्ति से जुडा हुआ है जिसमें गुण दोषों पर प्रकरण का निर्णय होना अपेक्षित है, अतः ऐसी स्थिति में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2015 अपास्त होने योग्य है। अन्य न्यायिक निर्णय M/s. Ramnath exports Pvt. Ltd. Vs. Vinita Mehta & Anr.(2022) 7 SCC 678 प्रस्तुत करते हुए यह भी निवेदन किया कि प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण से सारवान अधिकारों का हनन किया जाना उचित नहीं है।

5. यह भी निवेदन किया गया कि एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2015 की जानकारी इजराय के नोटिस वर्ष 2019 में प्राप्त होने पर हुई और उसके आधार पर यह आवेदन निर्धारित परिसीमा अवधि में है, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों के विपरीत जाकर प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के आवेदन को परिसीमा अवधि के बाहर मानते हुए व विलंब के लिए उचित कारण नहीं मानते हुए धारा 5 परिसीमा अवधि का आवेदन खारिज किया है, जो विधिसम्मत नहीं है।

6. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादी का निवेदन हे कि प्रवितादीगण की ओर से नोटिस तामील होने के बाद अपने अधिवक्ता के मार्फत न्यायालय में उपस्थिति दी गयी, मध्यस्थता के लिए भी कार्यवाही लंबित रही, असफल रहने पर जवाबदावे हेतु अनेक अवसर प्रतिवादीगण को दिये गये, अंतिम अवसर भी दिया गया, लेकिन नियत पेशी पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा "no instructions plead" कर दिया गया और अंततः जवाब दावा प्रस्तुत नहीं हुआ।

7. उनका यह भी निवेदन है कि जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थीगण को सजग व सचेत रहकर अपने अधिवक्ता से संपर्क करना था, इस मामले में अधिवक्ता की लापरवाही नहीं होकर स्वयं अपीलार्थीगण की लापरवाही रही है तथा उसके लिए विपक्षी को दंडित किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण के सगे भाग की ओर से पूर्व में आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी पी सी प्रस्तुत किया गया, वह खारिज होने के बाद पुनः "second round of litigation" प्रतिवादीगण की ओर से प्रांरभ किया गया है, जो

सद्भाविक नहीं है, अंत में अपीलाधीन निर्णय तथ्यों व विधि के अनुरूप होना बताते हुए अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय Malkiat Singh and Ors. (पूर्वोक्त) तथा Tahil Ram Issardas Sadarangani and Ors. (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां पक्षकार द्वारा अपनी पैरवी हेतु अधिवक्ता को सम्यक रूप से नियुक्त कर दिया गया है और पक्षकार की उपस्थिति आवश्यक नहीं है तो ऐसी स्थिति में यदि नियत पेशी पर अधिवक्ता द्वारा अपने पक्षकार को सूचना दिये बिना "no instructions plead" किया गया है तो न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकार को नोटिस जारी किया जाना समीचीन है, लेकिन प्रत्येक मामले में नोटिस जारी किया जावे, ऐसा कोई स्वर्णिम व सर्वमान्य सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, अपितु प्रकरण की स्टेज, पक्षकारों की उपस्थिति की आवश्यकता आदि भी सुसंगत है।

9. इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा Smt. Manju Vs. Krishna Gopal RLW 1998 (2) Rajasthan 1071 & Chhitarmal Vs. Basanti 2014 (2) CCC 442 Raj. में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिवादी को प्रारम्भ में सम्मन तामील कराया जाना आवश्यक है, लेकिन एक बार सम्मन तामील हो चुका है और उसके पश्चात संबंधित प्रतिवादी द्वारा व्यक्तिशः उपस्थिति दे दी गयी है तो उसके उपरान्त प्रत्येक मामले में ''No instructions plead'' करने पर न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकार को नोटिस जारी किया जाना आज्ञापक नहीं है। उपरोक्त दोनों

न्यायिक निर्णयों में यह भी व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि संबंधित पक्षकार को सतर्क और सजग रहना अपेक्षित है तथा उसकी लापरवाही के कारण से विरोधी पक्ष को दंडित किया जाना अथवा प्रकरण विलम्बित किया जाना उचित नहीं है।

10. वर्तमान मामले में प्रतिवादीगण द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु अधिवक्ता को अवश्य ही नियुक्त किया है, लेकिन मध्यस्थता कार्यवाही असफल होने पर प्रकरण जवाब दावे के लिए नियत था, जवाब दावा पक्षकारों के हस्ताक्षरों से ही प्रस्तुत होना था और ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को ही सजग रहकर अपने अधिवक्ता से संपर्क कर जवाबदावा प्रस्तुत करना था। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर दिये हैं, अंततः अंतिम अवसर पर भी जवाबदावा पेश नहीं होने पर अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा "no instructions plead" किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की कोई लापरवाही नहीं रही है, अपितु स्वयं अपीलार्थी पक्ष ही लापरवाह रहे हैं। न्यायिक निर्णय Chhitarmal Vs. Basanti (पूवोक्त) में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि पक्षकार द्वारा अपने अधिवक्ता की कथित लापरवाही के लिए बार काउंसिल में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु शिकायत आदि नहीं की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में अधिवक्ता की लापरवाही का तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है।

11. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण के सगे भाई भैरूलाल इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में संयोजित रहे हैं, उन सभी के द्वारा संयुक्त रूप से अपना अधिवक्ता नियुक्त

किया गया था, अपीलार्थीगण का अपने भाई से कोई हितों का टकराव या विवाद हो, ऐसी स्थिति नहीं है। दिनांक 18.02.2015 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित होने के बाद दिनांक 15.12.2015 को अपीलार्थी सहित उनके भाई भैरूलाल की ओर से आदेश 9 नियम 13 सी पी सी का आवेदन दिनांक 15.12.2015 को प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 30.05.2018 को खारिज हुआ, द्वितीय आवेदन दिनांक 15.10.2018 पोषणीय नहीं होने की आपत्ति वादी पक्ष द्वारा ली गयी जिस पर अपीलाधीन आदेश के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया गया कि पूर्ववर्ती आवेदन पर मात्र भैरूलाल के ही हस्ताक्षर थे। वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा ना तो कोई हस्ताक्षर किये गये और ना ही शपथपत्र पेश किया गया और इस आधार पर द्वितीय आवेदन पोषणीय मानते हुए गुण दोषों व परिसीमा के बिन्दु पर खारिज किया गया, लेकिन इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के भाई की ओर से एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त करवाने का सद्भाविक प्रयास किया, लेकिन उसमें असफलता रही और उसके बाद वर्तमान प्रतिवादीगण–अपीलार्थीगण की ओर से दिनांक 15.10.2018 को आदेश 9 नियम 13 सी पी सी के तहत आवेदन पेश किया। अपीलार्थीगण के भाई द्वारा अपनी बहनों को तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया हो, ऐसी स्थिति स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती है।

12. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण–अपीलार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 22.07.22014 को एकपक्षीय कार्यवाही हुई है और एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त करने हेतु दिनांक 15.10.2018 को अर्थात सवा चार वर्ष बाद आवेदन पेश किया

गया है। सवा चार वर्ष तक अपीलार्थीगण को एकपक्षीय कार्यवाही, एकपक्षीय निर्णय, इजराय तथा उसके भाई के द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी नहीं हो, यह कतई स्वाभाविक नहीं है। सवा चार वर्ष तक अपीलार्थीगण का मौन रहना असामान्य परिस्थिति है तथा उनकी लापरवाही निश्चित रूप से है।

13. परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 123 के अनुसार जहां प्रतिवादीगण पर सम्यक रूप से नोटिस तामील हो चुके हैं तो एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त करने की परिसीमा अवधि 30 दिन की निर्णय व डिक्री की दिनांक से प्रारंभ होती है, अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी पी सी एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2015 से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकता था, लेकिन करीब साढे तीन वर्ष पश्चात यह आवेदन पेश किया गया है, जो निश्चित रूप से परिसीमा अवधि के बाहर है और यह अभिमत देते हुए विचारण न्यायालय द्वारा धारा 5 परिसीमा अवधि का आवेदन खारिज किया है, जो पूर्णतः उचित व विधि सम्मत है।

14. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण इस मामले में कतई सद्भाविक नहीं रहे हैं, अपितु लापरवाह रहे हैं तथा उनके द्वारा कुटिल तरीके से अपने भाई के असफल रहने पर "second round of litigation" के माध्यम से वादी को विधि सम्मत डिक्री का लाभ प्राप्त नहीं हो, इसलिए न्यायिक कार्यवाही का दुरूपयोग किया है। अपीलाधीन निर्णय पूर्णतः तथ्यों व विधि के अनुरूप है।

15. तदनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.08.2019 की पुष्टि करते हुए यह अपील पुरजोर शब्दों में खारिज की जाती हैं। स्थगन प्रार्थना पत्र या अन्य कोई प्रार्थना पत्र यदि लंबित है तो वह भी इसी अनुसार खारिज किये जाते हैं।

16. विचारण न्यायालय का अभिलेख यदि प्राप्त हो रखा है तो इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /61